



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 01.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली कोंच पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त राघव यादव पुत्र जण्डैल सिंह निवासी ग्राम घुसिया कोतवाली कोंच के विरुद्ध कोतवाली कोंच पर मु०अ०सं० 222/18 धारा 452/354क/354ख/323/504/506 भादवि व 3(2)5a/3(1)द, ध एससी एसटी पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एससी एसटी कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राघव यादव उपरोक्त को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया
ADGC



प्र०नि० मॉनीटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



का० हदेश यादव
कोर्ट पैरोकार



का० आशीष तिवारी
कोर्ट मुहर्रि

jalaunpolice

